



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।
भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-76/2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

श्रवण घांसी

बनाम्

आरती कुमारी

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया श्रवण घांसी, पिता-स्व० भैरो घांसी, ग्राम-घांसी टोला, पो०-सरयू, थाना-गारू, जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता आरती कुमारी, पिता-रामजी नायक, ग्राम-मुरपा, पो०-सरयू, थाना-गारू, जिला-लातेहार के साथ मौजा-घांसी टोला, अंचल-गारू, खाता संख्या-24 प्लॉट संख्या-226 रकबा-0.05 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया। दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 16.07.2024 को सशरीर उपस्थित होकर जमीन का उचित बाजार मूल्य पर क्रय-विक्रय के लिए सहमति व्यक्त करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, गारू के पत्रांक-188 दिनांक 02.08.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, गारू के पत्रांक-188 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा-घांसी टोला, अंचल-गारू, खाता संख्या-24 प्लॉट संख्या-226 रकबा-0.05 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री के पश्चात् आवेदक

95
ALP

के पास कुल-1.79 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी, गारु द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) के अंतर्गत श्रवण घांसी, पिता-स्व0 भैरो घांसी, ग्राम-घांसी टोला, पो0-सरयू, थाना-गारु, जिला-लातेहार को क्रेता आरती कुमारी, पिता-रामजी नायक, ग्राम-मुरपा, पो0-सरयू, थाना-गारु, जिला-लातेहार के साथ मौजा-घांसी टोला, अंचल-गारु, खाता संख्या-24 प्लॉट संख्या-226 रकबा-0.05 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, गारु को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।